राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर
"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.2(ग)1/पदस्थापन/2017–18/अलेसे–I/1154 दिनांक :– 01/02/2018

समस्त,
अधीनस्थ लेखा सेवाकर्मी,
(स्थानान्तरित)

नोटिस

मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.डी. संख्या एफ.17004335 से प्राप्त सक्षम अनुमोदन के अनुसरण में वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(1)/वित्त/राजस्व/2017 दिनांक 24.12.2017 के माध्यम से प्राप्त शिथिलता के अनुसरण में इस निदेशालय के द्वारा जारी आदेश संख्या 263 से 272/2017–18 दिनांक 24.12.2017 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी करते हुए यह निर्देशित किया गया था कि स्थानान्तरित कार्मिक कार्यग्रहण अवधि का उपयोग किये बिना अविलम्ब कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करेंगे। विभिन्न विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा संबंधित कार्मिकों को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है जिसके परिणास्वरूप उन्होंने नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है।

इस बाबत् पूर्व में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2(ग)1/पदस्थापन/2017–18/अलेसे–I/1074 दिनांक 08.01. 2018 के माध्यम से कार्यमुक्त होने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये थे। विभाग की जानकारी में आया है कि अभी भी कतिपय कार्मिक अपने कार्यालयों से कार्यमुक्त नहीं हुए हैं।

अतः समस्त स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि वर्तमान कार्यालय से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अनिवार्य रूप से नोटिस जारी होने के तीन दिवस में नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करें, अन्यथा इसे विभागीय आदेशों की अवहेलना मानते हुए संबंधित कार्मिक/कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2(ग)1/पदस्थापन/2017–18/अलेसे–I/1154 दिनांक :– 01/02/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके यहां पदस्थापित स्थानान्तरणधीन कार्मिक को अविलंब कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
3. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/ विभाग का लेखा अनुभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।
4. संबंधित कोषाधिकारी .... को प्रेषित कर निर्देश है कि संबंधित जिले में स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों के कार्यमुक्त न होने पर इस विभाग को ई–मेल से अवगत करायें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. श्री.......................................सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II/क.लेखाकार कार्यालय.. को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई–मेल पर इस विभाग को भिजवायें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(अरविन्द दीपान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)